फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 47 प्रभात जयपुर, शनिवार 17 सितम्बर , 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

Scotland Along the Hooghly Realization started dawning on her. With bated breath, her waiting father quickly bundled them into the compartment.

Overcrowded Animal Shelters

CAREER: Most In-Demand Workforce Skills Cultivate critical soft skills that machines can't

इस वर्ष इंग्लैंड में दुर्लभ हैन हैरियर प्रजाति के लगभग 120 चूजों का जन्म हुआ है जो कि पिछली एक सदी में सर्वाधिक है। इंग्लैंड की एक संरक्षण एजेंसी, नैचुरल इंग्लैंड और उसके सहयोगियों ने डरहम काउंटी, कम्ब्रिया, लैंकशर, नॉर्थम्बरलैंड और यॉर्कशायर के ऊपरी भागों में हैन हैरियर के 119 चूजों की गणना की है, जिनमें से एक चूजा तो इतना बड़ा हो गया है कि स्वतंत्र रुप से उड़ान भरने को तैयार है। सौ साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक प्रजननकाल में इन पक्षियों की आबादी में 100 से ज्यादा सदस्यों की वृद्धि हुई है। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि, संरक्षण का काम जारी रहना चाहिए ताकि इंग्लैंड के इस सर्वाधिक संकटग्रस्त परभक्षी पक्षी के अवैध उत्पीड़न से निपटा जा सके। यह पक्षी अपने बच्चों के भोजन के लिए रैड ग्राउस के बच्चों का शिकार करता है जिसकी वजह से कॉमर्शियल शूटिंग एस्टेट्स से इसका सीधा टकराव होता है। हैन हैरियर 50 के दशक से ही संरक्षित हैं। एजेंसी नैचुरल इंग्लैंड के चेयरमैन टोनी जूनियर ने कहा कि, "इस वर्ष इस शानदार पक्षी की रिकवरी में जो प्रगति हुई है वह बहुत उत्साहवर्धक है, इससे इस प्रजाति की स्थिति सुधरी है। इस वर्ष की सफलता के बाद भी अभी हमें बहुत काम करना है तभी ये सही प्रकार से रिकवर हो पाएंगे।" वर्ष 2013 में हैन हैरियर प्रजाति के प्रजनन योग्य पक्षियों की आबादी इतनी कम हो गई थी कि एक भी चूज़े का जन्म नहीं हुआ। वर्ष 2016 में 6 चूज़े जन्मे थे, लेकिन, उसके बाद से उत्तरोत्तर संख्या बढ़ रही है। ब्रिटेन के परभक्षी पक्षियों में हैन हैरियर ही ऐसे हैं, जिनका बेइन्तहा शिकार हुआ है। मुर्गियों का शिकार करने की इनकी पुरानी आदत के कारण इन्हें हैन हैरिअर नाम मिला है। शूटिंग के लिए उपलब्ध तीतरों की संख्या पर इन पक्षियों का प्रभाव, मनुष्य व हैन हैरियर के बीच वर्तमान संघर्ष का कारण है, जिसके कारण यू.के. के कुछ भागों में इनके अस्तित्व को ही खतरा है। हैन हैरिअर नर, जहाँ हल्के सलेटी रंग के होते हैं वहीं मादा और अवयस्क पक्षी भूरे रंग के तथा लम्बी पूंछ व सफेद वाले होते हैं।

कांग्रेस ने राजस्थान का "प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर" अचानक क्यों बदला?

क्या इसका कारण है, पुराने पी.आर.ओ. संजय निरुपम, मु.मंत्री का दवाब बर्दाश्त नहीं कर पाये, और अध्यक्ष के चुनाव में वोट करने वाले लोगों की लिस्ट में गहलोत समर्थकों का एकाधिकार सा हो गया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर (पी.आर.ओ.) संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर गुजरात से जिला प्रमुख, ए.पी.आर.ओ. राजिन्दर सिंह को पी.आर.ओ. बनाया गया है।

जहाँ निरुपम के जाने के कारण ज्ञात नहीं हैं, वहीं स्पष्ट रुप से यह तो पता है कि, निरुपम ऐसे वातावरण में पी.सी.सी. प्रतिनिधियों की संतुलित सूची सुनिश्चित नहीं कर सकते, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर किसी के साथ धेंगा धेंगी कर रहे हैं, खास तौर पर सचिन पायलट के साथ, जिनके समर्थकों को लिस्ट में स्थान नहीं मिला है और गहलोत ने सूची में अपने समर्थक भर दिए हैं।

- **हालांकि, अभी इन पी.सी.सी. डैलिगेट्स की सूची अधिकृत रूप से जारी नहीं हुई है, तथा जिन्हें डैलिगेट नियुक्त किया गया है, उन्हें टेलीफोन से सूचना दी जा रही है।**
- **उदाहरण के लिये, मेवाड़, जहां 28 विधानसभा सीटें हैं, वहां से केवल एक पायलट समर्थक को ही डैलिगेट बनाया गया है।**

रोचक बात है कि, पी.सी.सी. डैलिगेट्स, जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोट करेंगे, की लिस्ट ना तो पी.सी.सी. अध्यक्ष और ना ही सैन्ट्रल इलैक्शन अथॉरिटी ने जारी की है।

जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उन्हें फोन पर सूचना दी जा रही है कि उन्हें प्रतिनिधि बनाया गया है। पी.सी.सी. डैलिगेट्स की एक मीटिंग कल जयपुर में बुलाई गई है, जहाँ उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिसके आधार पर वो वोट कर सकेंगे।

मेवाड़ क्षेत्र में, जहाँ 28 विधानसभा सीटें हैं, केवल एक पायलट समर्थक को पी.सी.सी. डैलिगेट बनाया गया है।

बाकी पूरी लिस्ट में अशोक गहलोत समर्थक एवं कुछ अन्य नेता हैं।

सोनिया एवं प्रियंका गाँधी आज सुबह इटली से वापस आ गईं। अब यह उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के मोर्चे पर कुछ एक्शन होगा, क्योंकि सोनिया गांधी को राज्य की गुत्थी सुलझानी होगी, जिसमें अशोक गहलोत किसी भी सूरत में पायलट के साथ सत्ता में साझेदारी करने को तैयार नहीं हैं।

राजस्थान में फैली अव्यवस्था और सत्ता के लिए गहलोत का लालच कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, ऐसे में जबकि पार्टी लगातार नीचे की तरफ जा रही है और नेतृत्व राज्य इकाई में व्याप्त अवयवस्था से निपटने में असमर्थ है।

उपाध्याय को नोटिस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा ने नेता तथा वकील अश्विनी उपाध्याय को उस जमीअत उलेमा-ए-हिन्द द्वारा दायर पी.आई.एल. पर नोटिस जारी किया। जमीअत ने उपाध्याय द्वारा वक्फ एक्ट की वैधता सवाल उठाने के लिए दायर की गई याचिका के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पी.आई.एल. में माँग की गई है कि उपाध्याय की याचिका को, मिसाल के रूप में जुर्माना लगाते हुये, खारिज किया जाये क्योंकि उन्होंने गलत बयानों तथा गलत इरादों से अदालत को गुमराह किया है।

न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा तथा सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविज़न बैंच ने उपाध्याय को निर्देश दिये हैं कि वे जमियत की अर्जी का जवाब 4 नवम्बर तक प्रस्तुत करें, जिस दिन होने

- **वक्फ एक्ट के खिलाफ याचिका दायर करने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के वकील अश्विनी उपाध्याय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह नोटिस जमीअत उलेमा-ए हिंद की याचिका पर दिया है।**

वाली सुनवाई के लिये याचिका सूचीबद्ध की गई है।

जमीअत ने कहा कि ये वही उपाध्याय हैं जिन्होंने पहले भी सारहीन पी.आई.एल. लगाई हैं तथा उनका अभिप्राय गूढ़ एवं गुप्त है।

इस याचिका में कहा गया है कि "कम से कम दो अवसरों पर, स्वयं माननीय सी.जे.आई. ने उन्हें सारहीन याचिकाएं दायर करने को लेकर फटकार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने ऐसी अनगिनत याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें भारत के मुस्लिमों से संबंधित लगभग सभी सिविल कानूनों को चुनौती दी गई है तथा उन्होंने याचिकाओं को मुस्लिम समुदाय को परेशान करने का साधन बना लिया है।

जमीअत ने दलील दी है कि उपाध्याय ने इस याचिका में यह गलत बात जानबूझकर कही है कि चाहे गये आदेशों से केन्द्र के भी प्रभावित होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक व तमिलनाडू में ई.डी. का बड़ा छापा

चालीस ठिकानों में एक साथ हुई इस रेड पर काफी राजनीतिक कयास बाजी हो रही है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। शराब या कहें शराब घोटाला, जो दिल्ली में शुरु हुआ था, अब दो तेलुगू भाषी राज्यों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। संयोग की बात है कि दक्षिण भारत के इन दोनों राज्यों में भाजपा अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है।

इन दोनों राज्यों से लोकसभा के 42 सांसद चुने जाते हैं और 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां से भाजपा के मात्र चार सांसद चुने गये थे।

एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) की टीमों ने चार राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू में 40 पर जगहों सोमवार सुबह रेड की ओर तलाशी ली। इनमें वाय.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली सांसद मागुन्ता श्रीनिवासुला रेड्डी से संबंधित परिसर शामिल हैं तथा टी.आर.एस. की एम.एल.सी. और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर. की पुत्री के करीबी लोग शामिल हैं।

- **वाय.एस.आर. कांग्रेस के प्रभावशाली सांसद मगुन्ता रेड्डी के ठिकानों पर छापे का मकसद, भाजपा व तेलगु देशम पार्टी के बीच संभावित गठबंधन की पूर्व सूचना देना है।**
- **तेलंगाना के मु.मंत्री चन्द्रशेखर राव की पुत्री के प्रतिष्ठानों पर रेड को, दिल्ली की शराब नीति के घोटाले से जोड़ा जा रहा है।**
- **तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से 42 सांसद निर्वाचित होते हैं, तथा भाजपा ने इनमें से कुल चार सीटें जीती थीं, 2019 के चुनाव में। भाजपा इन दोनों तेलगु भाषी प्रदेशों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिये काफी प्रयासरत है। क्या ये ई.डी. के छापे इसी प्रयास का अंग हैं?**

सूत्रों के अनुसार रेड और तलाशी देर रात तक जारी रह सकती है। शुक्रवार को जिनके यहां रेड डाली गई उनमें के.सी.आर. की पुत्री कविता का चार्टर्ड एकाउंटैंट भी शामिल है। अब कविता का नाम भी दिल्ली के शरब घोटाले में जुड़ गया है। कविता ने आरेपों से साफ इन्कार किया और कहा कि जो लोग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूरोप में दक्षिणपंथी हावी!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। स्वीडन में हुए संसदीय चुनावों में, बुधवार को दक्षिणपंथी पार्टियों के गठबंधन ने उल्लेखनीय जीत हासिल कर ली। इस मामूली सी जीत से यूरोपीय राजनीति में एक बदलाव आ गया।

- **एक के बाद एक, यूरोप के देशों में दक्षिणपंथी पार्टियां चुनाव में जीत हासिल कर रही हैं। हाल ही में स्वीडन में भी दक्षिणपंथी पार्टी, स्वीडन डैमोक्रैट्स दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है।**

स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो सैन्टर-लैफ्ट पार्टी होने के साथ ही, वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख पार्टी है, ने एक पार्टी के रूप में सर्वाधिक वोट प्राप्त किये, लेकिन उसे इतने वोट नहीं मिल सके कि सत्ता में बनी रहे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन व रूस के संबंधों में गर्माहट कुछ कम हुई

पर, भारत को कुछ लाभ ही हुआ, कुछ खोया नहीं समरकंद में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। समरकन्द शिखर सम्मेलन की मीटिंगों में भाग लेने वाले तीन प्रमुख भागीदारों- भारत, रूस और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की बदली हुई रूपरेखाएं सामने आई हैं।

रूस और चीन के बीच के रिश्तों में कुछ-कुछ खटास आ गई है, जबकि चीन और भारत एक-दूसरे के प्रति अभी भी शंकाओं से भरे हुये हैं तथा एक-दूसरे के साथ सीधे सम्पर्कों से बच रहे हैं। इस बीच, भारत ने रूस को कह दिया है कि "अब युद्ध के लिये कोई समय नहीं है।"

जो भी है, यूक्रेन युद्ध अब रूस के लिहाज से एक विनाशकारी रूप ले चुका है तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को यूक्रेन की उलझन से बचने का रास्ता पाने में मुश्किल आ रही है। लेकिन उन्होंने शान्ति-वार्ताओं की प्रक्रिया की पहल का भार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर ज़ैलेन्स्की के सिर पर डाल दिया है तथा शिकायत के लहज़े में कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वार्ता आयोजित करने से बच रहे हैं।

- **रूस को निराशा है कि, चीन से वह समर्थन नहीं मिला जिसकी उसको अभी खास जरूरत थी।**
- **चीन मन मसोस रहा है कि, रूस से असीमित संबंधों के नारे के कारण वह यूरोपिय देशों से कट गया।**
- **इस कमजोरी के कारण चीन की साउथ चाईना सी, ताईवान व भारतीय सीमा पर धींगा मस्ती बंद हुई।**
- **पर, भारत राजनीतिक संबंधों में संतुलन बनाकर बिना कुछ खोये सकुशल लौट आया।**

रूस और चीन के बीच पहले वाला सौजन्य और सौहार्द्र, जो यूक्रेन पर रूसी हमले के पहले घोषित "असीमित मित्रता" के रूप में व्यक्त किया गया था, अब समाप्त हो चुका है। समरकन्द सम्मेलन से चीन और रूस के दूरी बनने का मौसम शुरु हो जायेगा तथा उनकी घोषित मित्रता के बीच उदासीनता एवं रूखापन दिखाई देने लगेगा।

शी जिनपिंग के साथ हुई मीटिंग के बाद, रूसी राष्ट्रपति ने खुलकर स्वीकारा कि "वे समझते है कि यूक्रेन युद्ध तथा उसके परिणामों को लेकर चीन के मन में कुछ प्रश्न तथा चिन्ताएं हैं। रूस, चीन से वह समर्थन एवं सहयोग हासिल करने में विफल रहा है, जिसकी उसे इस समय सख्त जरूरत है।

दूसरी तरफ, चीन यह महसूस कर रहा है कि रूस को दिया गया उसका शुरुआती समर्थन एवं सहयोग एक अपात्र देश को दिया गया समर्थन था क्योंकि रूस अब वैश्विक परिदृश्य बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया है तथा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पी.सी.सी. डैलिगेट्स की सूची से सचिन पायलट समर्थकों को काटने और गहलोत समर्थकों को भरने का काम जमकर हुआ

जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों सहित पूरे राजस्थान में विधायक और विधायक प्रत्याशियों की मनमर्जी चली

जयपुर, 16 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान के पीसीसी डैलिगेट्स को सीधे बताया जा रहा है कि उन्हें शनिवार को होने वाली पीसीसी की बैठक में आना है और सीधे तौर पर कोई सूची जारी नहीं की जा रही है। हालांकि अधिकांश नाम सबके सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस की ओर से डैलिगेट्स की सूची जारी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि, बड़े विवादों की स्थिति को देखते हुए इस सूची को जारी नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि, कहीं किसी सदस्य ने यदि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मानस बना लिया, तो स्थिति अटपटी हो सकती है। इसी कारण पीसीसी की सूची को जारी करने के बजाय एक एक डैलिगेट को फोन करके सूचना दी गई है।

जो नाम निकल कर सामने आए हैं, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि, इस बार सचिन पायलट समर्थकों को जहां से भी काटना था, वहां से काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के लोगों को दूसरों के विधानसभा क्षेत्रों में अतिक्रमण करके डैलिगेट बनाया गया है। स्थिति यह रही कि, सचिन पायलट समर्थक राजेश चौधरी को भी टोंक जिले के उनियारा से पीसीसी डैलिगेट बनना पड़ा है, जबकि वह जयपुर ग्रामीण के झोटवाड़ा और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के सशक्त दावेदार हैं। वहीं निर्दलीय विधायक खुद कांग्रेस के डैलिगेट नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने अपने परिवारजनों को पीसीसी डैलिगेट बनाकर एक ब्लॉक पर कब्जा बरकरार रखा है। टोंक जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, तो टोंक और देवली-उनियारा को छोड़कर निवाई और टोडारायसिंह विधानसभा क्षेत्र में भी सचिन पायलट समर्थकों को मौका नहीं मिल पाया है।

- **पी.सी.सी. ने सबसे सूची छुपाई, लेकिन डैलिगेट बनने वालों ने माला पहनकर बधाई पाई।**
- **जहां निर्दलीय विधायक हैं वहां कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों को भी मौका नहीं मिला।**

जहां तक जयपुर शहर के 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात है तो, इनमें या तो विधायक और विधायक प्रत्याशी पीसीसी डैलिगेट बने हैं या उन्होंने अपने समर्थकों को मौका दिया है। जहां निर्दलीय विधायक बने हैं उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को मौका दिया है तो दूसरे डैलिगेट के रूप में अपने कट्टर समर्थक को पीसीसी डैलिगेट बनाया है। एक विधानसभा क्षेत्र से 2 ब्लॉक में 2 डैलिगेट बनते हैं। जयपुर शहर के आठ विधानसभा क्षेत्रों में सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मुमताज मुमताज मसीह, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा और राजीव अरोड़ा, विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल और नीमकाथाना से विधायक रहे रमेश खंडेलवाल, हवामहल से महेश जोशी और असगर अहमद, सिविल लाइन्स से प्रताप सिंह खाचरियावास और मनोज मुद्गल, आदर्श नगर से विधायक रफ़ीक़ खान डैलिगेट बने हैं। वहीं दूसरे ब्लॉक से उन्होंने बड़े व्यापारी मुकुंद गोयल को मौका दिया है। किशनपोल से विधायक अमीन कागजी और आर आर तिवाड़ी और बगरू से गंगा देवी और पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टाक पीसीसी डैलिगेट बने हैं।

जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, सांगानेर से प्रत्याशी रहे सुरेश मिश्रा, पूर्व मंत्री और वर्तमान में खादी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा, राजस्थान बिहपुर बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुशील शर्मा और गिरिराज गर्ग को इस बार पीसीसी डैलिगेट के तौर पर जयपुर से कहीं भी मौका नहीं दिया गया है।

जहां तक जयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो, आमेर से प्रशांत सहदेव शर्मा और जसवंत गुर्जर, झोटवाड़ा से अशोक शर्मा और रेखा कटारिया, चौमूं से पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी तथा ललित तुनवाल, फुलेरा से विद्याधर चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी, बस्सी से सुरेंद्र सिंह राजावत और गिर्राज शर्मा, दूदू से जितेश चौधरी और निर्दलीय विधायक बाबूलाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वैवाहिक बलात्कार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन याचिकाओं पर केन्द्र को नोटिस जारी कर दिया, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस विखंडित फैसले को चुनौती दी गई थी जो उसने विवाहित दुष्कर्म के क्रिमिनलाइजेशन पर दिया

- **वैवाहिक बलात्कार को अपराध माने जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा।**

था। इसकी अगली सुनवाई अगले वर्ष फरवरी में होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दो जजों- न्यायमूर्ति राजीव शकधर तथा सी. हरिशंकर ने परस्पर विरोधी फैसले दिये थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)